अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

का0आ0सं0–निग / सारा–4 (पथ)–आरोप–05 / 2019 पटना, दिनांक :– 5/3/19

कार्यालय आदेश – 65

पथ प्रमंडल, गोपालगंज अन्तर्गत CMBD के तहत माझागढ़–धर्मपरसा पथ में कराये गये कार्यो की जाँच उड़नदस्ता प्रमंडल संख्या–3 के द्वारा जाँचोंपरांत समर्पित प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं गुणवत्ता प्रतिवेदन की विभागीय तकनीकी समिति के द्वारा समीक्षोंपरांत उपलब्ध कराये गये अनुशंसा के अनुरूप आलोच्य पथ में पायी गयी त्रुटियों / अनिमियतताओं के आलोक में विभागीय पत्रांक–10475 दिनांक–27.12.2016 एवं पत्रांक–3058 दिनांक–30.03.2017 द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में श्री राजेश्वर कुमार कनीय अभियंता पथ प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा अपना स्पष्टीकरण उत्तर दिनांक–19.04. 017 समर्पित किया गया।

2. प्रश्नगत मामले में उड़नदस्ता जाँचप्रतिवेदन की विभागीय समीक्षा के उपरांत आलोच्य पथ कार्य में निम्नांकित त्रुटिया पायी गयीः–

(i) पथ के 5 वें कि०मी० पीपरा के पास SDBC Layer में Loss of material एवं Rutting पाया गया है तथा 6 वें कि०मी० में कतिपय Pots पाये गये है। इसी प्रकार पथ की 7 वें, 8वें कि०मी० में झाड़ी एवं 3 रे कि०मी० में Shoulder में Undulation पाया गया है।

(ii) पथ के 7 वें कि०मी० में कराये गये B.M कार्य की औसत मुटाई 42.25mm पायी गयी है, जो कि 50mm के प्रावधान से कम है।

(iii) पथ के 7 वें कि०मी० में कराये गये B.M कार्य एवं SDBC कार्य में प्रयुक्त Aggregate औसतन क्रमशः 0.933% एवं 1.276% Oversize तथा 1.5468%(B.M कार्य) Undersize पाये गये है।

3. वर्णित पायी गयी त्रुटियों के संदर्भ में श्री कुमार से पूछे गये स्पष्टीकरण पर उनके द्वारा समर्पित उत्तर पर विभागीय तकनीकी समिति का मंतव्य प्राप्त किया गया, जिसके द्वारा विश्लेषणोंपरांत आलोच्य पथ के 7 वें कि०मी० में कराये गये BM Gr-II कार्य की औसत मुटाई प्रावधान / टॉलरेन्स लिमिट से कम पाये जाने मात्र के लिए श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाये जाने की अनुसंशा की गई।

तद्‌ालोक में विभाग द्वारा की गई समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा अपने बचाव में ऐसा कोई ठोस एवं खंडनयुक्त तथ्य अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस पर युक्तिसंगत ढ़ंग से विचार किया जा सके, जिसके फलस्वरूप उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार किये जाने का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर की गई समीक्षा के क्रम में श्री कुमार द्वारा दिनांक–19.04.2017 के समर्पित स्पष्टीकरण उत्तर को अस्वीकृत करते हुए सम्यक विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–14 के उप नियम–v के तहत निम्न शास्ति अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया जाता है:–

(i) **तीन वार्षिक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।**

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1837(8) पटना, दिनांक :– 5/3/19

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग बिहार, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार (यातायात) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, गोपालगंज/उप सचिव (निगरानी), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी,(प्रभारी प्रशाखा–3) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव, मुख्यालय/लेखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–1/2/3/6/13/14, एवं लेखा शाखा, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं श्री राजेश्वर कुमार, कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल गोपालगंज को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>निबंधित</u>

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 1837(8) पटना, दिनांक :– 5/3/19

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।